नगर/योजना का नाम :–मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद।

परिषद की मण्डोला विहार योजना गाजियाबाद के सेक्टर–7 में क्षेत्रफल 39897.90 वर्ग0मी0 में अद्धनिर्मित 1856 नग बहुमंजिले भवनो की परियोजना को ''जहॉ है जैसे है'' के आधार पर नीलामी के माध्यम से प्राप्त करने का सुनहरा अवसर।

परियोजना से सम्बन्धित घोषणायें

- परियोजना स्थल उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा संचाालित सेक्टर–7 मण्डोला विहार योजना, जनपद गाजियाबाद हेतु विधिवत अधिग्रहित कब्जा प्राप्त एवं विवाद रहित भूमि पर स्थित।

योजना के विशेष आकर्षण

- मण्डोला विहार योजना दिल्ली सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग (709बी) पर स्थित है तथा दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर एंट्री एवं एग्जिट परियोजना स्थल के सन्निकट है।
- परियोजना के अर्न्तगत कुल 1856 नग फ्लैटस नियोजित/आंशिक निर्मित हैं तथा तीन नग टावर का सिविल कार्य लगभग पूर्ण है।
- परियोजना के अर्न्तगत लगभग 10 एकड़ भूमि पर छः माह में आवंटी परियोजना को पूर्ण कर फ्लैटस का विक्रय कर सकता है।
- अन्तर्राज्यीय बस स्टेशन (आई0एस0बी0टी0) कश्मीरी गेट से दूरी 15 कि0मी0 है।
- शिव विहार मैट्रो स्टेशन से दूरी 9 कि0मी0 है।
- इस्टर्न पैरिफिरेयल एक्सप्रेसवे से दूरी 8 कि0मी0 है।
- लोनी रेलवे स्टेशन से दूरी मात्र 8 कि0मी0 हैं।
- ट्रोनिका सिटी से निकट है।
- हिण्डन एयरपोर्ट 20 कि0मी0 एवं RRTS मोहन नगर पाइंट मात्र 20 कि0मी0 पर स्थित।

शर्ते एवं प्रतिबन्ध निम्नवतः–

- नीलामी में भाग लेने हेतु देय टोकन धनराशि सम्पत्ति के मूल्य की 10 प्रतिशत देय होगी। टोकन धनराशि के रूप में 10 प्रतिशत धनराशि जमा होने के पश्चात आवंटन पत्र निर्गत होने की तिथि से सम्पत्ति के स्वीकृत मूल्य की 40 प्रतिशत धनराशि की ब्याज रहित 04 त्रैमासिक किश्तों (01 वर्ष में) भुगतान करना होगा। स्वीकृत मूल्य की शेष 50 प्रतिशत धनराशि 11 प्रतिशत ब्याज सहित 05 वर्षों की 10 छमाही किश्तों में भुगतान करना होगा। समय से किश्तों का भुगतान न करने पर 2 प्रतिशत अतिरिक्त ब्याज देय होगी।
- आवंटन के पश्चात आवंटन पत्र निर्गमन तिथि से 60 कार्य दिवस में भूखण्ड के मूल्य का पर्ण भुगतान करने पर 05 प्रतिशत की विशेष छूट अनुमन्य होगी।
- केन्द्र सरकार/उ०प्र० सरकार/स्थानीय निकाय द्वारा लागू कर जैसे–जी0एस0टी0, आयकर, जलकर एवं अन्य कर क्रेता को स्वयं वहन करना होगा।

- आवंटी द्वारा निर्मित सम्पत्ति के विक्रय पर शासन के नियमानुसार स्टाम्प देयता का दायित्व सम्बन्धित पक्षकारो का होगा।
- परिषद से मानचित्र स्वीकृत कराकर ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर निर्माण कराने हेतु अनुमन्य अवधि कब्जा प्राप्त करने की तिथि से 05 वर्ष है।
- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड का एफ0ए0आर0–2.5 अनुमन्य होगा।
- विद्युत/ट्रांसफार्मर इत्यादि का व्यय स्वयं क्रेता को वहन करना होगा।
- ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड पर परिषद नियमानुसार मानचित्र स्वीकृत कराकर निर्मित फ्लैटो के विक्रय का अधिकार आवंटी में सन्निहित है।
- सम्पत्ति का हस्तान्तरण इच्छुक क्रेता को इसकी वर्तमान दशा में किया जायेगा और इच्छुक क्रेता को बाद में किसी कारण से कोई शिकायत या आपत्ति नहीं होगी और न ही कोई दावा इस संबंध में स्वीकार्य होगा।
- उक्त परियोजना के संबंध में उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद की अनावासीय एवं आवासीय सम्पत्तियों के निस्तारण संबंधी विनियम यथासंशोधित–2016 के ग्रुप हाउसिंग भूखण्ड के आवंटन/निस्तारण के विनियम प्रभावी होगें।
- परिषद विनियमों के प्राविधानों में किसी धारा–उपधारा के रहते हुए भी किन्ही विशेष परिस्थितियों में आवास आयुक्त को अन्यथा निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा।

****